

व तारीख
जो इस हुक्म
मील में जारी

FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

जी.सी.एम.एस.नं.

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत मुकाम

बनाम

किस्म मुकदमा नम्बर वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	--

8/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में द्वास्थ पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/5/25 को पेश हो।

19/5/25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र आपत्ति विरुद्ध विभाजन प्रस्ताव एवं वकील वादीगण द्वारा पूर्व में पेश जवाब आपत्ति विभाजन प्रस्ताव को अभिलेख पर लिया जाता हैं। आपत्ति विरुद्ध प्रारम्भिक डिक्री पर वकूलाय उभयपक्ष को सुना गया। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 30.05.2025 को पेश हो।

30/05/25

GCMU-2023/556

वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। आपत्ति विरुद्ध प्रारम्भिक डिक्री पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव, प्रार्थना पत्र आपत्ति विरुद्ध विभाजन प्रस्ताव एवं जवाब आपत्ति विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि पेश प्रार्थना पत्र आपत्ति विरुद्ध प्रारम्भिक डिक्री में स्पष्ट रूप से आपत्ति का अंकन नहीं किया गया हैं। अतः वकील प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आपत्ति विरुद्ध

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर
जो
तारीख

विभाजन प्रस्ताव न्यायहित में खारिज किया जाता हैं। अतः वाद वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

मुक
हरि
वोके
[वा
ाजन
गर्ड
[.....
मय र
त मे

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बड़जलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. कालूराम पुत्र कानाराम
2. गाडाराम पुत्र कानाराम समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी जोड़ा उपरली पोस्ट भूदौली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—वादीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र भागूराम वगैरह

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 206 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी श्री हरिसिंह सैनी एडवोकेट मिनजानिब मुद्ई रूबरू श्री फतेह सिंह, श्री मुरारीलाल शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 05 सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुहर

मुद्ई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।